न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – **अरूण कुमार जैन, आर० ए० एस**

मूल प्रार्थना पत्र संख्या– 69/2022 तथा इस न्यायालय के प्रार्थना पत्र संख्यांक 67/2022

सुरेन्द्र कुमार उम्र 40 साल श्री छीतरमल जाति कुम्हार, निवासी जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर (राज0)।

.............प्रार्थी

बनाम्

1. नाथी देवी उम्र 75 साल पत्नि श्री छीतरमल जाति कुम्हार, निवासी जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर (राज0)।

........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 एल .आर. एक्ट 1956 वास्ते तरमीम दुरूस्त किये जाने बाबत्।

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
2. श्री बबलू कुमावत अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं.1
3. सरकार पैरोकार वास्ते अप्रार्थी सं. 2

निर्णय दिनांकः–07.12.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के समक्ष राज. भू. राजस्व अधिनियम 1556 की धारा 131,132 व 136 प्रस्तुत किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेशानुसार उक्त प्रकरण हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता तथा पैरोकार सरकार उपस्थित। वादी द्वारा राज. भू. राजस्व अधिनियम 1556 की धारा 131,132 व 136 के अन्तर्गत ग्राम डेहरा के ख.न. 2402/1813 रकबा 6.8283 व 2403/1813 रकबा 1.7703 है0 भूमि का ना. स. 1137 नि. दि. 1/7/2020 से की गई तकासमा/तरमीम में शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 28/11/2022 को जवाब प्रस्तुत कर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का समर्थन किया है तथा वाद पत्र के मुताबिक राजस्व नक्शे में संशोधन किये जाने की सहमति व्यक्त की।

07/12/2022
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

.....2

अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार जोबनेर द्वारा पत्र क.7022 दिनांक 28/11/2022 तथा पत्र क. 7040 दि. 29/11/2022 द्वारा मौका पर्चा तैयार कर प्रेषित किया है तथा राजस्व रिकार्ड लट्ठा नक्शा का मिलान मौके अनुसार करने पर उभय पक्षकारान् के मध्य हुये विभाजन के अनुसार बाउण्ड्री (सीमा) में सहमति बटवारा से हुई अशुद्व तरमीम को दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ता तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख किया। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सहमति व्यक्त की। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 29/11/2022 के मौका पर्चा अनुसार अशुद्ध तरमीम को दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है।

पत्रावली का अध्ययन मनन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की सहमति तथा अप्रार्थी सं. 2 की अभिशंषा के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि राजस्व नक्शे में तहसीलदार जोबनेर द्वारा पत्र क. 7022 दि. 28/11/2022 के साथ संलग्न नक्शे के अनुरूप शुद्वि की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.12. 2022 को खुले–इजलास में सुनाया गया ।

07/12/22

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर